



पारदर्शिता और चुनाव सुधार: चुनावी बांड एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विश्लेषण

हिमांशु शेखर दुबे

शोधार्थी, विधि विभाग, मेजर, एस0 डी0 सिंह विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद उ० प्र०

डॉ. मयंक कुमार

सहा० आचार्य, विधि विभाग, मेजर एस0 डी0 सिंह विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद उ० प्र०

संपर्क- 9634092880, himanshudubey.1225@gmail.com

पता – ग्राम/पोस्ट - सुरजनपुर, हैदरपुर, जिला औरैया 206129.

सारांश (Abstract)

भारतीय लोकतंत्र की सफलता पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित है। चुनावी प्रक्रिया में वित्तीय सुधार और संस्थागत शुद्धता दोनों ही आवश्यक हैं। चुनावी बांड (Electoral Bonds) को राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, किंतु इसके व्यावहारिक प्रभावों पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। आलोचकों का मानना है कि यह व्यवस्था गुप्त दान को वैध बनाती है और बड़े कॉर्पोरेट हितों को राजनीतिक प्रक्रिया पर अधिक प्रभावी बनाती है। इससे छोटे दलों के लिए संसाधन जुटाना कठिन हो जाता है और नागरिकों का विश्वास कमजोर होता है। दूसरी ओर, विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) चुनावी प्रक्रिया में संरचनात्मक सुधारों की ओर संकेत करता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है, जिसमें मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना, नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना और त्रुटियों को सुधारना शामिल है। SIR चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले। इस अध्ययन में चुनावी बांड की कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया है, साथ ही SIR के संभावित लाभों और सीमाओं पर चर्चा की गई है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो चुनावी बांड वित्तीय पारदर्शिता से संबंधित हैं, जबकि SIR मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी निष्पक्षता से जुड़ा है। निष्कर्षतः, लोकतंत्र की मजबूती के लिए केवल वित्तीय सुधार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि संस्थागत ढांचे में व्यापक परिवर्तन आवश्यक हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले चुनाव सुधार ही



नागरिकों के विश्वास को पुनर्स्थापित कर सकते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं।

मुख्य शब्द (Keywords): लोकतंत्र, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), चुनावी बांड, पारदर्शिता, जवाबदेही।

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसकी सफलता नागरिकों के विश्वास और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर आधारित है। लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का साधन नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतिबिंब होते हैं। किंतु चुनावी वित्तीय व्यवस्था लंबे समय से विवाद और आलोचना का विषय रही है।

चुनावी बांड योजना को राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। सरकार का तर्क था कि इससे नकद लेन-देन कम होगा और चुनावी खर्च का स्रोत वैध बनेगा। परंतु व्यवहार में यह व्यवस्था दानदाताओं की पहचान को गुप्त रखती है, जिससे लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। आलोचकों का मानना है कि यह व्यवस्था कॉर्पोरेट हितों को राजनीतिक प्रक्रिया पर अधिक प्रभावी बनाती है और नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है।

इसी संदर्भ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR, Special Intensive Revision) की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चुनावी प्रक्रिया में केवल वित्तीय सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्थागत ढांचे में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसमें तकनीकी नवाचार, स्वतंत्र नियामक संस्थाओं की स्थापना, और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य चुनावी बांड और SIR का तुलनात्मक विश्लेषण करना है, ताकि यह समझा जा सके कि भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है।

शोध उद्देश्य (Research Objectives)

इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में चुनावी वित्तीय व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही का गहन अध्ययन करना है। चुनावी बांड योजना और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से यह समझना कि किस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्यों में शामिल हैं -



1. चुनावी बांड योजना का विश्लेषण

- इसकी संरचना, उद्देश्य और व्यावहारिक प्रभावों का अध्ययन।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में इसकी सीमाओं का मूल्यांकन।

2. SIR की अवधारणा और महत्व

- चुनाव सुधार में संस्थागत ढांचे की भूमिका को समझना।
- तकनीकी नवाचार, स्वतंत्र नियामक संस्थाओं और नागरिक सहभागिता की संभावनाओं का आकलन।

3. तुलनात्मक अध्ययन

- चुनावी बांड और SIR के बीच पारदर्शिता एवं जवाबदेही की तुलना।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में दोनों व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।

4. सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना

- चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय।
- संस्थागत सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के उपाय।

समस्या (Problem of Statement)

भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनावी बांड योजना को इस उद्देश्य से लागू किया गया था कि राजनीतिक दलों की फंडिंग को वैध और पारदर्शी बनाया जा सके। परंतु व्यवहार में यह व्यवस्था कई गंभीर समस्याओं को जन्म देती है।

- **गुप्त दान की समस्या:** चुनावी बांड के माध्यम से दानदाताओं की पहचान गुप्त रहती है। इससे नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं मिलता कि किसने किस दल को कितना धन दिया। यह लोकतांत्रिक पारदर्शिता के मूल सिद्धांत के विपरीत है।
- **कॉर्पोरेट प्रभाव:** चुनावी बांड व्यवस्था बड़े कॉर्पोरेट घरानों को राजनीतिक दलों पर अधिक प्रभाव डालने का अवसर देती है। इससे चुनावी प्रतिस्पर्धा असमान हो जाती है और छोटे दलों के लिए संसाधन जुटाना कठिन हो जाता है।



- **जवाबदेही का संकट:** जब दानदाताओं की पहचान गुप्त रहती है, तो राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी कमजोर हो जाती है। जनता यह नहीं जान पाती कि नीतिगत निर्णयों के पीछे कौन-से आर्थिक हित काम कर रहे हैं।
- **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की आवश्यकता:** केवल वित्तीय सुधार पर्याप्त नहीं हैं। चुनावी सूची और मतदाता पंजीकरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) आवश्यक है। यदि मतदाता सूची में त्रुटियाँ हों, तो पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों प्रभावित होती हैं।

इस प्रकार, चुनावी बांड योजना पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में असफल रही है, और मतदाता सूची की शुद्धता के लिए SIR की आवश्यकता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु अनिवार्य है।

शोध पद्धति (Methodology)

शोध-पत्र में चुनावी बांड और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बहु-आयामी पद्धति अपनाई गई है। अध्ययन की रूपरेखा निम्न प्रकार है:

1. कानूनी एवं नीतिगत समीक्षा

- चुनावी बांड योजना से संबंधित विधिक प्रावधानों, अधिसूचनाओं और संसद में हुई चर्चाओं का अध्ययन।
- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नीतिगत दस्तावेजों का विश्लेषण।

2. न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण

- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन, जिनमें चुनावी बांड की वैधता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठाए गए।
- न्यायिक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों का मूल्यांकन।

3. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का अध्ययन

- मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले SIR की प्रक्रिया का विश्लेषण।
- मतदाता पंजीकरण, सूची संशोधन और त्रुटि सुधार की कार्यप्रणाली का अध्ययन।



4. तुलनात्मक दृष्टिकोण

- चुनावी बांड और SIR दोनों का लोकतांत्रिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही के संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण।
- वित्तीय पारदर्शिता बनाम मतदाता सूची की शुद्धता के लोकतांत्रिक महत्व का मूल्यांकन।

5. सैद्धांतिक ढांचा

- लोकतांत्रिक सिद्धांतों, पारदर्शिता मानकों और जवाबदेही के सिद्धांतों को आधार बनाकर अध्ययन।
- नागरिकों के विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती को केंद्रीय मानदंड के रूप में लिया गया।

विश्लेषण (Analysis)

चुनावी बांड और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) दोनों ही भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहलू हैं, किंतु इनकी प्रकृति और प्रभाव अलग-अलग हैं। चुनावी बांड का उद्देश्य राजनीतिक दलों की फंडिंग को वैध और पारदर्शी बनाना था, परंतु व्यवहार में यह व्यवस्था दानदाताओं की पहचान को गुप्त रखती है, जिससे पारदर्शिता कमजोर होती है और कॉर्पोरेट घरानों का राजनीतिक प्रक्रिया पर असमान प्रभाव बढ़ता है। छोटे दलों के लिए संसाधन जुटाना कठिन हो जाता है और जनता को यह जानने का अधिकार नहीं मिलता कि नीतिगत निर्णयों के पीछे कौन-से आर्थिक हित काम कर रहे हैं। इसके विपरीत, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। इसमें मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाता है और त्रुटियों को सुधारा जाता है। इस प्रक्रिया से चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता मजबूत होती है तथा यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो चुनावी बांड वित्तीय पारदर्शिता से संबंधित हैं, जबकि SIR मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी निष्पक्षता से जुड़ा है। दोनों ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हैं, किंतु चुनावी बांड की आलोचना यह है कि यह गुप्त दान को वैध बनाता है, जबकि SIR पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। अतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नागरिकों का विश्वास तभी पुनर्स्थापित हो सकता है जब वित्तीय पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुद्धता दोनों सुनिश्चित हों।



निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और विश्वसनीयता पारदर्शिता तथा जवाबदेही पर आधारित है। चुनावी बांड योजना को पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, किंतु व्यवहार में यह व्यवस्था गुप्त दान को वैध बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है और कॉर्पोरेट हितों को राजनीतिक प्रक्रिया पर असमान प्रभाव डालने का अवसर देती है। इसके विपरीत, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करता है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो चुनावी बांड वित्तीय पारदर्शिता से संबंधित हैं, जबकि SIR मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मतदान अधिकार की रक्षा से जुड़ा है। लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती तभी संभव है जब वित्तीय पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुद्धता दोनों सुनिश्चित हों। अतः चुनाव सुधार की दिशा में चुनावी बांड व्यवस्था की समीक्षा और SIR जैसे उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन अनिवार्य है, ताकि नागरिकों का विश्वास पुनर्स्थापित हो सके और लोकतांत्रिक मूल्यों को दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके।

सुझाव (Recommendations)

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनावी बांड और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) दोनों ही क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाना आवश्यक है। चुनावी फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु दानदाताओं की पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए और राजनीतिक दलों की वित्तीय रिपोर्टिंग को स्वतंत्र नियामक संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से जांचा जाना चाहिए। साथ ही, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी नवाचारों का प्रयोग कर चुनावी फंडिंग की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे गुप्त दान की संभावना समाप्त हो। दूसरी ओर, मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए SIR को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, जिसमें मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। नागरिक सहभागिता और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनता को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। इस प्रकार, वित्तीय पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुद्धता दोनों सुनिश्चित करके ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नागरिकों का विश्वास पुनर्स्थापित किया जा सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है।



संदर्भ सूची

Liya Teressa Alex and Velmurugan P.S., *Electoral Bonds: Does it help Strengthening Democracy in India?*, Central University of Tamil Nadu, 2021.

Ravikar Yadav, *Electoral Bonds in India: Unmasking the Veil of Anonymity in Political Funding and its Impact on Democracy, Transparency, and Accountability*, International Journal of Law, Justice and Jurisprudence, Vol. 5, No. 2, 2025, pp. 162-171. Cited by <https://www.lawjournal.info/article/230/5-2-33-244.pdf> dated- 21/03/2026

Sameer Kumar, *The Legal Controversy Surrounding Electoral Bonds in India: A Constitutional Dilemma*, Indian Journal of Legal Review, Vol. 4, No. 3, 2024, pp. 104-114.

Sonali Singh, *Electoral Bonds and Transparency: Analyzing the Supreme Court's Stance on Political Funding in India*, International Journal of Law Management & Humanities, Vol. 7, No. 6, 2024, pp. 389-399. Cited by- <https://ijlmh.com/paper/electoral-bonds-and-transparency-analyzing-the-supreme-courts-stance-on-political-funding-in-india/> on dated 21/03/2026.

Ekta Manhas, Rahul Kumar and Pooja Kotwal, *Electoral Bond and the Question of Transparency in Indian Politics*, Central University of Jammu & Sanskaram University, 2024. Cited by-<https://ijlmh.com/paper/electoral-bonds-and-transparency-analyzing-the-supreme-courts-stance-on-political-funding-in-india/> on dated 21/03/2026